राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर

हिंदी कार्यशाला : एक रिपोर्ट

राजभाषा नियमानुसार सभी सरकारी कार्यालयों में देवनागरी हिंदी में काम करना अनिवार्य किया गया है और हिंदी कार्य में आनेवाली कठिनाई तथा झिझक को दूर करने हेतु प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना भी जरूरी है। राजभाषा नियमों का सुचारु रूप से अनुपालन करते हुए वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही कार्यशाला का आयोजन दिनांक 28/07/2021 को राज्य सूचना –विज्ञान अधिकारी (SIO) श्रीमती कविता रॉय दास की अध्यक्षता में किया गया । इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि हिंदी शिक्षण योजना,भुवनेश्वर की वरिष्ठ प्रध्यापिका श्रीमती कवितांजली मोहंती को “कार्यालयीन कामकाज में सहज और सरल हिंदी का प्रयोग” पर व्यख्यान हेतु आमंत्रित किया गया था।

कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं माँ सरस्वती वंदना से हुआ। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्य सचिव सुश्री अलका प्रधान ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

मुख्य अतिथि एवं उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य में SIO महोदया ने राजभाषा हिंदी पर ज़ोर देते हुए कहा कि जैसे अन्य सरकारी नीति नियमों का अनुपालन हम करते हैं, वैसे ही पूरी श्रद्धा और लगन के साथ राजभाषा हिंदी को अपनाना चाहिए तथा रोज़मर्रा इसे उपयोग करना चाहिए।

मुख्य अतिथि महोदया ने अपने वक्तव्य में भारत के सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए राजभाषा हिंदी की महत्ता पर ज़ोर देते हुए कहा कि हिंदी सिर्फ राजभाषा ही नहीं वल्कि एक समृद्ध साहित्य की भाषा है, इसके साथ साथ हिंदी पूरे भारत में संपर्क भाषा का काम भी बखूबी निभा रही है। सरकारी कामकाज में प्रयोजनमूलक हिंदी का व्यवहार होता है, क्योंकि सरकारी भाषा साहित्यिक भाषा से परे है, इसमें एक निश्चित दायरे में, निश्चित उद्देश्य से काम किया जाता है, जिसमें भाषा की कोई लक्षणा या व्यंजनभिव्यक्ति की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए कार्यालयीन कामकाज सरल,सहज तथा संक्षेप में होना चाहिए और शब्द जहां पर दुरूह लगे तो अंग्रेजी को देवनागरी हिंदी में लिखना ही उचित माना जाए । आगे मुख्य अतिथि महोदया ने राजभाषा हिंदी से संबन्धित संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों (343-351) की सम्यक जानकारी दी।

व.त.निदेशक श्री सुकान्त कुमार महाकुल ने उपस्थित प्रतिभागियों को यूनिकोड (Unicode) के माध्यम से कैसे आसानी से काम किया जा सकता है, पर विस्तार से समझाया।

अंत में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की (OLIC) उपध्यक्षा श्रीमती सुजाता दास के मुख्य अतिथि तथा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का सत्र सम्पन्न हुआ।